न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भीखाराम पुत्र केहराराम 2– बगताराम पुत्र केहराराम 3– पदमाराम पुत्र केहराराम 4– विशनाराम पुत्र केहराराम 5– जोधाराम पुत्र उरजाराम 6– डालाराम पुत्र उरजाराम 7– चुतराराम पुत्र उरजाराम 8– रतनाराम पुत्र उरजाराम 9– बिडदाराम पुत्र कानाराम 10–रामुराम पुत्र नवलाराम 11–नोजी पत्नी नवलाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर		1– भेराराम पुत्र गंगाराम 2– हेमाराम पुत्र गंगाराम 3– अचलाराम पुत्र अणदाराम 4– धनाराम पुत्र अणदाराम 5– तुलछाराम पुत्र अणदाराम 6– मालाराम पुत्र आसुराम 7– विरमाराम पुत्र आसुराम 8– चूनी पत्नी आसुराम 9– धोकलराम पुत्र राजुराम 10–हिमताराम पुत्र राजुराम 11–अमानाराम पुत्र राजुराम 12–जेठाराम पुत्र लाबूराम 13–बगताराम पुत्र लाबूराम 14– किसनाराम पुत्र लाबूराम 15–मोहनराम पुत्र रामुराम 16–भंवरूराम पुत्र रामुराम 17–भीयाराम पुत्र रामुराम 18–भानाराम पुत्र रामुराम 19–दीपाराम पुत्र बुधाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7/2019 अनवान भेराराम बनाम भीखाराम मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या 120/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– वरजु पत्नी स्व0 चौखाराम 2– कुम्भाराम पुत्र स्व0 चोखाराम 3– यशोदा पुत्री स्व0 चोखाराम 4– ईश्वरलाल पुत्र स्व0 चोखाराम 5– आरती पुत्री स्व0 चोखाराम सभी जातियान जाट निवासीगण डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1– भेराराम पुत्र गंगाराम 2– हेमाराम पुत्र गंगाराम 3– अचलाराम पुत्र अणदाराम 4– धनाराम पुत्र अणदाराम 5– तुलछाराम पुत्र अणदाराम 6– मालाराम पुत्र आसुराम 7– विरमाराम पुत्र आसुराम 8– चूनी पत्नी आसुराम 9– धोकलराम पुत्र राजुराम 10–हिमताराम पुत्र राजुराम 11–अमानाराम पुत्र राजुराम 12–जेठाराम पुत्र लाबूराम 13–बगताराम पुत्र लाबूराम 14– किसनाराम पुत्र लाबूराम 15–मोहनराम पुत्र रामुराम 16–भंवरूराम पुत्र रामुराम 17–भीयाराम पुत्र रामुराम 18–भानाराम पुत्र रामुराम

		19– दीपाराम पुत्र बुधाराम 20– भीखाराम पुत्र केहराराम 21– बगताराम पुत्र केहराराम 22– पदमाराम पुत्र केहराराम 23– विशनाराम पुत्र केहराराम 24– जोधाराम पुत्र उरजाराम 25– डालाराम पुत्र उरजाराम 26– चुतराराम पुत्र उरजाराम 27– रतनाराम पुत्र उरजाराम 28– बिडदाराम पुत्र कानाराम 29–रामुराम पुत्र नवलाराम 30–नोजी पत्नी नवलाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम डऊकियो का बास, चेराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7/2019 अनवान भेराराम बनाम भीखाराम मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई (अपील सं0 90/2019 मे) एवं श्री रामविलास मुण्डेल (अपील सं0 120/2019 मे)अधिवक्ता अपीलांट की ओर से। ।

2– श्री ए.आर.बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 से 14 एवं 16 की ओर से ।

3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 10–12–2019

उक्त दोनो अपीलो का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अपीलो के रेस्पो0 संख्या 1 से 19 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 2953 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 2953/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि उनके खातेदारी कब्जा काश्त की है जो ग्राम डऊकियो का बास की सरहद मे आई हुई है, इस भूमि के पडौस मे उत्तरी व पूर्वी दिशा मे आई हुई भूमि के अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) खातेदार है, जिनके खसरा नंबर 2955/1 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि की सीमाओ को आगे पीछे करके खुर्द–बुर्द करना शुरू कर दिया इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश करवाई एवं जहां सीमाएं आ रही थी, वहां पत्थर लगाने शुरू किये तो अप्रार्थीगण ने रूकावट पैदा की एवं मौके पर लडाई–झगडा करने हेतु आमदा है इसलिए अप्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत की पैमाईश भू प्रबंध अधिकारियो से करवाकर

पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार तिवंरी को आदेशित किया कि टीम गठित कर सेटलमेंट विभाग जोधपुर द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 9-5-2019 के अनुसार तहसील ओसियां के राजस्व ग्राम डऊकियो का बास चेराई के खसरा नंबर 2953 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 2953/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2952 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा की भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे पनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28-5-2019 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान 2 अपीले इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के सम्मन जारी किये गये ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित है । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गलत रूप से धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे दर्ज कर कार्यवाही की है, जबकि उक्त धारा के प्रावधान वर्तमान प्रार्थना पत्र मे कतई लागू नही होते है । अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से पूर्व मे कायम माठो का हवाला दे रखा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित विवाद धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम की परिभाषा मे नही आता परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना कोई जांच करवाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलांट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 2-4-2019 को अधिवक्ता ने अपना वकालातनामा प्रस्तुत किया तथा आगामी पेशी दिनांक 21-5-19 को रखी गई तथा दिनांक 21-5-19 को पीठासीन अधिकारी स्वयं उपस्थित नही होने से सीलनुमा आदेशिका से पत्रावली दिनांक 28-5-2019 को रखते हुए अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो की पालना किये बिना पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि यदि किसी खातेदार ने गलत रूप से माठ कायम कर दी तो उस माठ को हटाने का इन धाराओ मे प्रावधान केवल 90 दिन के लिए ही लागु होता है, उसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के प्रावधान के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है न कि धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया परंतु इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त दोनो अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–5–2019 को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि धारा 111 सीमा संबंधी विवाद के संबंध मे ही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने उनके क्षेत्राधिकार का होने से अपीलाधीन आदेश के जरिये निर्णित किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त दोनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो गये थे तथा अपीलाधीन आदेश मे भी अप्रार्थी अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है इसलिए यह नही माना जा सकता कि अप्रार्थीगणो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो । वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये तहसीलदार तिवरी को आदेशित किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा सम्पन्न सीमाज्ञान दिनांक 9–5–2019 अनुसार तहसील ओसियां के राजस्व ग्राम डऊकिया का बास चेराई के खसरा नंबर 2953 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 2953/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2952 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करे इसलिए अब अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट एवं रेस्पो0गण दोनो की उपस्थिति मे सीमाज्ञान कराने के निर्देश दिये हुए है तो अपीलांट तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात,

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–2019 एवं अपील संख्या 90/2019 एवं 92/2019 के अपीलांट अधिवक्ता ने आज फार्म नंबर 3 के सलंग्न उक्त दोनो अपीलो के अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का भी अवलोकन किया, जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0गण संख्या 1 से 19 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 2953 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 2953/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि उनके खातेदारी कब्जा काश्त की है जो ग्राम डऊकियो का बास की सरहद मे आई हुई है, इस भूमि के पडौस मे उत्तरी व पूर्वी दिशा मे आई हुई भूमि के अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) खातेदार है, जिनके खसरा नंबर 2955/1 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि की सीमाओ को आगे पीछे करके खुर्द–बुर्द करना शुरू कर दिया इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश करवाई एवं जहां सीमाएं आ रही थी, वहां पत्थर लगाने शुरू किये तो अप्रार्थीगण ने रूकावट पैदा की एवं मौके पर लडाई–झगडा करने हेतु आमदा है इसलिए अप्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत की पैमाईश भू प्रबंध अधिकारियो से करवाकर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदिया, नक्शा ट्रेस तथा उक्त खसरा नबंरान की भूमि की पैमाईश मौका फर्द दिनांक 12–2–2019 एवं 9–5–2019 आदि तमाम दस्तावेजात के अवलोकन एवं अध्ययन के पश्चात उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, प्रथमदृष्टियां उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की जाना पाया जाता है ।

जहां तक अपीलांट का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित है, इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 2–4–2019 अनुसार अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति देकर वकालातनामा प्रस्तुत कर दिया था तथा अपीलाधीन आदेश मे भी अधिवक्ता रेस्पो0 की उपस्थिति दर्ज है तो अपीलांट का यह कथन सही नही माना जा सकता है कि अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई के पारित किया गया हो ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार

करते हुए तहसीलदार तिंवरी को आदेशित किया कि टीम गठित कर सेटलमेंट विभाग जोधपुर द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 9–5–2019 के अनुसार राजस्व ग्राम डऊकियो का बास चेराई के खसरा नंबर 2953 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 2953/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2952 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा की भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावें । ऐसे मे वर्तमान अपीलांट को भी सुनकर नये सिरे से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जायेगी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत ही विधिवत पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होगा ।

वर्तमान मामले मे यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पत्रावली पर उपलब्ध पैमाईश मौका फर्द दिनांक 12–2–2019 मे यह स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि अपीलाधीन भूमि दो गांवो के बीच की सीमा पर स्थित होने से रकबा ओवरलेप हो रहा है इसलिए भू प्रबंध विभाग के तकनिकी सहयोग से ही पैमाईश संभव है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो की मौजुदगी दिनांक 9–5–2019 को सम्पन्न मौका फर्द अनुसार दोनो पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–5–2019 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.16 13:37:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: